

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

संरीप कुमार बनाम मुनीसिंह आदि

दावा बाबत :- 88.97Ac+

मुकदमा नम्बर :- 77/2020

निर्णय दिनांक :- 18-10-2021

वादी की ओर से वकील मुनीम बेनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील विजय सिंह बेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रौही मौजा खुरतपुरा के खाला सं० 115/109 के मु.नं. 90 किला नं. 22 ता 25, मु. नं. 98 किला नं. 2 ता 7 कुल 2.326 ए० कारनी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम व रौही खुरतपुरा के खाला सं 33/34 के मु. नं. 71 किला नं. 21 ता 25, मु. नं. 90 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मु. नं. 91 किला नं. 2 ता 9, 12 ता 13, 21 मु. नं. 97 किला नं. 1, 10, 11 मु. नं. 98 किला नं. 1, 10 कुल 7.994 ए० कारनी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 के नाम 105/3 हिस्सा खातेदारी 54 ए० में से केवल प्रतिवादी सं 1 के बाजार वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को ही हिस्सा बराबर के खातेदार लक्षणांक घोषित किया जावे है यदि प्रतिवादी सं 3 ने अपना समूचा हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में लाया कर ग्रन्थ कर लिया है इसलिये पंजीगन विभागा को देय पंजीगन मुल्क एवं स्थान उपर्युक्त अदा करने व यदि वापसी के लक्ष्य है तो रदन मुक्त होने के उपरान्त ही राष्ट्रिय रिजर्व में अपना परामर्श किया जाय राजीनामा को डिक्री का भाग पढा पाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-10-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 भादरा जिला हनुमानगढ़  
 खुरतपुरा